

हिमाचल प्रदेश सरकार  
पंचायती राज विभाग।

संख्या: पीसीएच-एचए(1)2/2019- विभाजन/पुर्नगठन: 55565-572 28 अगस्त, 2020

अधिसूचना

क्योकि उपायुक्त शिमला के माध्यम से विभाग में प्राप्त प्रस्तावनाओं के आधार पर और सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार जिला शिमला के निम्नलिखित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन एवं पुर्नगठन हेतु, प्रस्तावनाएं विचाराधीन है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्याक 4) की धारा 3 की उप-धाराओं (1) व (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला शिमला के ग्राम सभा क्षेत्रों, जिनका विवरण निम्न अनुसूची में दिया गया है, को नियमानुसार विभाजित/पुर्नगठित करने एवं नए ग्राम सभा क्षेत्रों को घोषित करने तथा उपरोक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) के प्रयोजन हेतु ग्राम सभाओं के गठन करने का प्रस्ताव करते हैं, और यथा अपेक्षित सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों की जानकारी एवं सार्वजनिक सुझाव और आक्षेप आमन्त्रित करने के लिए राज्य सरकार के ई-राजपत्र में प्रकाशित करने और जिला शिमला के उपायुक्त को, इस सम्बन्ध में सुझावों एवं आक्षेपों को प्राप्त करने तथा उन पर विचार करने के लिए प्राधिकृत करने के आदेश प्रदान करते हैं;

यदि निम्न अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन/पुर्नगठन/जोडने/काटने व फेरबदल इत्यादि के सम्बन्ध में, सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों को कोई सुझाव/आपत्ति प्रस्तुत करने हो तो वह अपने सुझाव या आक्षेप इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक के (7) दिनों की अवधि के भीतर उपायुक्त, जिला शिमला को प्रस्तुत कर सकेंगे। उपरोक्त नियत अवधि के अवसान के पश्चात आक्षेप या सुझाव, जो कोई भी हो, ग्रहण नहीं किए जाएंगे;

राज्य सरकार, जिला शिमला के निम्न अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन/पुर्नगठन तथा नए ग्राम सभा क्षेत्रों को घोषित करने और उनके लिए नई ग्राम सभाओं के गठन बारे में अन्तिम अधिसूचना, इस सम्बन्ध में उपायुक्त जिला शिमला की सिफारिश के दृष्टिगत, जारी करेगी:

क्र० सं०	वर्तमान ग्राम सभा का नाम	कोष्ठ संख्या 2 में वर्णित ग्राम सभा के ग्रामों के नाम	नई ग्राम सभा तथा उसके मुख्यालय का नाम	कोष्ठ संख्या 4 में वर्णित ग्राम सभा में सम्मिलित होने वाले ग्रामों के नाम	कोष्ठ संख्या 3 में वर्णित ग्राम सभा में बचे शेष ग्रामों के नाम	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7
1	विकास खण्ड ठियोग:					
	1 कुठार	1 उपमहाल बावर	देवठी स्थित चनौत	1 उपमहाल बावर	1 नोली	
		2 देवठी		2 देवठी	2 कुठार	
		3 किशौर		3 किशौर	3 उपमहाल शाय	
		4 पुन्दर		4 पुन्दर	4 बनेहा	
		5 घलाना		5 घलाना	5 बाला	
		6 नोली				

		7 कुठार			
		8 उपमहाल शाय			
		9 बनेहा			
		10 बाला			
2	विकास खण्ड चौपाल:				
	1 नेरुवा	1 खान्टी	गढा	1 खान्टी	1 बागना
		2 बावडा		2 बजाथल	2 गुन्सा
		3 बजाथल		3 बावडा	3 दलेवना
		4 गढा		4 कौथाली	4 काउ
		5 बागना		5 गढा	5 ठेकरा
		6 गुन्सा			6 धारदुआ
		7 दलेवना			7 नेरुवा
		8 काउ			8 थाचली
		9 ठेकरा			9 सोयल
		10 धारदुआ			10 धनसारी
		11 नेरुवा			11 कलात
		12 थाचली			12 दियालडी
		13 सोयल			13 गई
		14 धनसारी			14 रिजट
		15 कलात			15 दाडू
		16 दियालडी			
		17 गई			
		18 रिजट			
		19 दाडू			
		20 कौथाली			
3	विकास खण्ड जुब्बल कोटखाई:				
	1 हिमरी	1, हिमरी	ग्राम सभा घूंडा, मुख्या वास का नाम भडैच	1 भडैच	1 हिमरी
		2 पाली		2 घूण्डा	2 पाली
		3 कडहैल			3 कडहैल
		4 थरमला			4 थरमला
		5 झंगरोली			5 झंगरोली
		6 भडैच			
		7 घूण्डा			

आदेश द्वारा  
सचिव (पचायती राज)  
हिमाचल प्रदेश सरकार।


पृ० संख्या: उपरोक्त- 55565-572  
प्रतिलिपियां सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु:

दिनांक

28 अगस्त, 2020

1. उपायुक्त शिमला, जिला शिमला हिमाचल प्रदेश को इस आशय सहित कि वह इस अधिसूचना के सम्बन्ध में निर्धारित अवधि के भीतर प्राप्त सुझावों/आक्षेपों यदि कोई हो, को सुझाव तथा आक्षेप प्राप्त करने की अन्तिम तिथि से 3 दिनों के भीतर निपटारा करके ई-मेल या विशेष वाहक द्वारा इस निदेशालय को प्रेषित करने की कृपा करें।

2. जिला पंचायत अधिकारी शिमला को इस आशय सहित कि वह उक्त अधिसूचना का सम्बन्धित ग्राम सभा क्षेत्रों में व्यापक प्रचार सुनिश्चित करवाएंगे।
3. समस्त सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी, जिला शिमला हि0प्र0. को इस आशय सहित कि वह उक्त अधिसूचना की एक प्रति सम्बन्धित ग्राम पंचायत के प्रधान/सचिव को सम्बन्धित ग्राम सभा क्षेत्रों में व्यापक प्रचार करने हेतु उपलब्ध करवाएं तथा इसका व्यापक प्रचार भी सुनिश्चित करें।
4. समस्त सम्बन्धित प्रधान/सचिव ग्राम पंचायत जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश को (सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी के माध्यम से) इस निर्देश सहित कि वह उक्त अधिसूचना की प्रति का ग्राम सभा क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों तथा ग्राम पंचायत के सूचना पट्ट पर चसपान सुनिश्चित करवाएंगे तथा इस अधिसूचना का समस्त ग्राम सभा क्षेत्र में व्यापक प्रचार सुनिश्चित करे।

  
अतिरिक्त निदेशक,  
पंचायती राज विभाग,  
हिमाचल प्रदेश, शिमला-9.